

प्रेषक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उ०प्र०, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2017

विषय- श्री अजय पाल सिंह, प्रवक्ता भौतिकी, महामाया पालीटेक्निक ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, हाथरस की पूर्व में की गयी सेवाओं को पेंशनरी लाभ हेतु जोड़ने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4507/ई-स्था०राज(ए-171), दिनांक 26.05.2011, पत्र संख्या-6078/ई-स्था०राज(ए-171), दिनांक 13.07.2012, पत्र संख्या-14457/ई-स्था०राज(ए-171), दिनांक 03.10.2013, पत्र संख्या-21669/ई-स्था०राज(ए-171), दिनांक 19.09.2015 एवं पत्र संख्या-43614/ई-स्था०राज(ए-171), दिनांक 03.02.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अजय पाल सिंह, प्रवक्ता भौतिकी, महामाया पालीटेक्निक ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, हाथरस के प्राविधिक शिक्षा विभाग में दिनांक 01.09.2010 को योगदान करने से पूर्व एम०एम०जे०ई०सी० कालेज, खुर्जा में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के पद पर दिनांक 01.03.2005 से 31.08.2010 तक की गयी सेवाओं को मात्र सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु शासनादेश स०सा०-3-728/दस-98-901/98, दिनांक 10.07.98, शासनादेश स०सा०-3-1984/दस-2001-901/98, दिनांक 28.12.2001 तथा शासनादेश स०सा०-3-950/दस-2006-901/98, दिनांक 20.07.2006 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ वर्तमान सेवा में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि श्री सिंह की सेवानिवृत्ति के समय यदि कोई भिन्न नियम प्रभावी होते हैं, तो यथासमय उन्हीं नियमों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। श्री सिंह की सेवापुस्तिका मूलरूप में 02 खण्डों में संलग्न कर प्रेषित है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०सा-3-253/दस-2017, दिनांक 23 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(सुरजन)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
- 3- कोषाधिकारी, हाथरस।
- 4- प्रधानाचार्य, महामाया पालीटेक्निक ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, हाथरस ।
- 5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 6- श्री अजय पाल सिंह, प्रवक्ता भौतिकी, महामाया पालीटेक्निक ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, हाथरस।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कुलदीप बाबू)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।